



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरात्ना कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963PLC003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

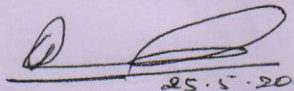
रजिस्टर्ड कार्यालय:- बीज भवन, पूसा भवन, नई दिल्ली-110012

क्रमांक:-के.रा.फा./जैत./10-37(पार्ट-3)/सुरक्षा/2015-16/

दिनांक:-25.05.2015

निविदा -सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राज0) के पांच सुरक्षा खण्डों, जिसमें तारबंदी के अन्दर व तारबंदी के बाहर के क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में फसलों की समस्त चल-अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा कार्य हेतु तकनीकी व वित्तीय निविदा सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 18.06.2015 को अपराह्न 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन सांय 4.00 बजे खोला जायेगा। दिनांक 18.06.2015 को उचित दरें प्राप्त नहीं होने पर पुनः तकनीकी व वित्तीय निविदायें दिनांक 22.06.2015 को पूर्व निर्धारित समय तक स्वीकार की जायेगी, जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी। ठेके की कार्य अवधि दिनांक 01.07.2015 से 30.06.2016 तक होगी, जिसे आवश्यकतानुसार घटया व बढ़ाया जा सकता है। निविदा में भाग लेने से पूर्व धरोहर राशि के रूप में अखरे रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला(08251) पर देय हो, निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। असफल निविदादाता की धरोहर राशि बैंक द्वारा लौटा दी जायेगी एवं सफल निविदा दाताओं की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद लौटाई जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एंवम शर्तें किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय से ली जा सकती हैं व निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती हैं। निविदा फार्म रुपये 114.00 नकद जमा कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सांय 4:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।


25.5.2015
सुरक्षा अधिकारी

कृते निदेशक

may kindly see before issue

Director

Sh M-Raj: SO
सीमा संदेश में दएवाये
25/5



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963PLC003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालय:- बीज भवन, पूसा भवन, नई दिल्ली-110012

क्रमांक:-के.रा.फा./जैत./10-37(पार्ट-3)/सुरक्षा/2015-16/

दिनांक:-26.05.2015

सुरक्षा ठेका 2015-16 हेतु तकनीकी निविदा -प्रपत्र

क्र.सं.	पेन नम्बर	बड़े कृषि फार्म पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव(प्रमाण पत्र की छायाप्रति)

नाम :-.....

पिता का नाम :-.....

पूरा पता :-.....

.....

.....

.....

मोबाईल नं. :-

वित्तीय निविदा प्रपत्र

श्रीमान निदेशक महोदय,
केन्द्रीय राज्य फार्म
जैतसर (राज0)

महोदय,

आपकी निविदा सूचना क्रमांक के.रा.फा./जैत./1-37/पार्ट-3/सुरक्षा/2015-16 दिनांक 2015 के सन्दर्भ में फार्म में तारबन्दी के अन्दर एवं तारबन्दी के बाहर पाँच सुरक्षा खण्डों में स्थित निगम सम्पत्तियों की सुरक्षा का कार्य करने का इच्छुक हूँ। मैंने इस कार्य हेतु फार्म द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों का पढ़ व समझ लिया तथा मुझे स्वीकार है। मैंने निर्धारित धरोहर राशि रुपये 50000/- का डिमान्ड ड्राफ्ट खजांची के पास जमा करवा दिया है तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया है।

मैं इस सुरक्षा कार्य के लिये फार्म से निम्न प्रकार अखरे रुपये प्रतिमाह लूँगा। नियम व शर्तों का अनुबन्ध में सुरक्षा कार्य शुरू करने से पूर्व ही रुपये 100/- के स्टॉप पेपर पर लिखकर सुरक्षा अनुभाग को उपलब्ध करवा दूँगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी प्रस्तावित दर पर उक्त खण्ड की सुरक्षा का कार्य आवंटित करने की कृपा करें। यह कार्य अवधि में फार्म द्वारा निर्धारित अवधि 31.05.2016 तक होगी और यदि इसे घटाया या बढ़ाया जाता है तो भी मैं इसी दर पर कार्य करने को तैयार हूँ। ठेके की अन्य सभी शर्तें मुझे मंजूर हैं।

निर्धारित नियम व शर्तों के अनुरूप खण्ड वार प्रस्तावित दर प्रतिमाह रुपये में है।

क्रम	सुरक्षा खण्ड का नाम	चक का नाम	खरीफ 2015 व रबी 2015-16 की दर प्रतिमाह रु0 में	जमा धरोहर धनराशि का विवरण
1.	सुरक्षा खण्ड-1 तारबन्दी के अन्दर	1 बी जी एम (खल्लडा) 1 बी.जी.डी.ए. 1 बी.जी.डी.-बी 3 बी.जी.डी. पीवेट सिस्टम, जेनरेटर		
2.	सुरक्षा खण्ड-2 तारबन्दी के बाहर	4 बी जी डी 2 बी.जी.डी (बडा चक) 1-2 जे.के.एस.एम(बडा चक) 2 जे.के.एस.एम. 3 जे.के.एस.एम.		
3.	सुरक्षा खण्ड-3 तारबन्दी के बाहर	1 एस.ए.डी. (फुव्वारा व जेनरेटर) बाग के साथ सामने जोजोबा बाग के साथ वाली नर्सरी 2 एम.जी.एम. 4 एम.जी.एम. 6 एम.जी.एम. टयूबवैल 2 नग		
4.	सुरक्षा खण्ड-4 तारबन्दी के अन्दर	1 एस.ए.डी. 2 एस.ए.डी. 2 एम.जी.एम. (फुव्वारा जेनरेटर) उद्यान नर्सरी बाग 1-5 एम.जी.एम. 3 एम.जी.एम. पीवेट जेनरेटर 5-7 एस.ए.डी.(टयूबवैल)		
5.	सुरक्षा खण्ड-5 तारबन्दी के अन्दर	9-10 एस.ए.डी. (पीवेट जेनरेटर) आई.डब्लु एम-1 आई.डब्लु एम-2(टयूबवैल) 4 एमजीएम 6 एमजीएम (पीवेट जेनरेटर)		

भवदीय

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्री गंगानगर(राज0) की समस्त चल-अचल

सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु नियम व शर्तें । दिनांक

1. यह कि ठेकेदार ठेके पर लिये गये फार्म क्षेत्र में विद्यमान समस्त चल-अचल सम्पत्तियों जैसे खड़ी फसलें पड़े पड़े पौधे लकड़ी ट्यूबेल इंजन मोटर तार खेतों में बने मकान हेड पम्प आदि जो हैं जहाँ हैं जैसे हैं के अनुसार दिन व रात्री लगातार आंतरिक एवं बाहरी व्यक्तियों तथा पालतू व जंगली जानवरों से सुरक्षा करेगा।
2. यह कि सुरक्षा कार्य में दक्ष सुरक्षा रक्षकों को कार्य पर लगायेगा तथा पूर्ण सुरक्षा सामग्री जैसे सीटी लाठी रात्री के लिये टार्च आदि की व्यवस्था ठेकेदार अनिवार्य रूप से करेगा।
3. यह कि ठेकेदार व उसके सुरक्षा रक्षकों सम्बंधित खण्ड /चक के प्रभारी व सुरक्षा अधिकारी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में सुरक्षा कार्य सही समय व सुचारु रूप से करेगा।
4. यह कि ठेकेदार को सुरक्षा की दृष्टि से समस्त बिन्दुओं जैसे पम्पों ट्यूबेल तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों पर तीनों पारियों में सुरक्षा रक्षक रखने आवश्यक होंगे।
5. यह कि ठेकेदार द्वारा सुरक्षा कार्य समय व सुचारु रूप से पूरा नहीं करने, फार्म का किसी प्रकार का नुकसान होने पर, शिथिलता /असफलता - अनियमितता की दशा में नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी और यदि आवश्यक हुआ तो ठेका निरस्त किया जायेगा और ठेकेदार के लम्बित भुगतान सहित जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ठेकेदार की असफलता पर यही कार्य फार्म अपने स्तर पर पीसरेट वर्कर लगाकर या किसी अन्य से करायेगा, जिसका भुगतान फार्म सीधे पीस रेट वर्कर को करेगा तथा उक्त भुगतान की राशि ठेकेदार के बिलों से काट ली जायेगी इसमें जो अतिरिक्त खर्चा आयेगा उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।
6. यह कि सुरक्षा कार्य के दौरान ठेकेदार के सुरक्षा कर्मियों को किसी प्रकार की दुर्घटना चोट सर्प डंस जंगली जानवरों द्वारा नुकसान आदि होने पर सुरक्षा ठेकेदार पूर्णतयः जिम्मेदार होगा।
7. यह कि ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि व श्रमिक फार्म की किसी सम्पत्ति को न तो कोई नुकसान पहुँचायेगा और न ही उसका उपयोग करेंगे। किसी प्रकार से नुकसान व अनियमितता में लिप्त पाये जाने पर सुरक्षा कर्मियों के प्रति कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा और हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।
8. यह कि सुरक्षा ठेकेदार उसका प्रतिनिधि एवं उसके सुरक्षा कर्मियों पर्यावरण-जल-जीव जन्तुओं जंगली जानवरों व मोर तीतर आदि पक्षियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करेंगे। उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचायेंगे।
9. यह कि ठेकेदार अपराधिक, शराबी, संदिग्ध एवं फार्म की काली सूची में आये व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगायेगा तथा कार्य स्थल पर बीड़ी-सिगरेट या अन्य कोई नशीली चीजों का प्रयोग करना पूर्ण वर्जित होगा।
10. यह कि ठेकेदार एवं उसके सुरक्षा कर्मियों फार्म के किसी कर्मचारी अधिकारी से अभद्रता एवं अशिष्टता का व्यवहार नहीं करेंगे झगडा आदि करने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।
11. यह कि ठेकेदार के बिलों का भुगतान खण्ड के मुख्य प्रहरी एवं सुरक्षा अधिकारी के संतोषजनक प्रमाणन पर लेखानुभाग द्वारा उपलब्ध धन के आधार पर बाजूवाला स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पर देय चेक द्वारा दिया जायेगा है।
12. यह कि ठेकेदार व उसके समस्त सुरक्षाकर्मियों फार्म के समस्त आदेशों के साथ सुरक्षा नियमों का पालन कडाई से करेंगे।
13. यह कि ठेकेदार अपने सुरक्षा कर्मियों को समस्त हित-लाभ प्रदान करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूनतम मजदूरी देनी होगी जिसका रिकॉर्ड भी रखन होगा आवश्यकता पडने पर फार्म अधिकारियों को उपलब्ध करवाना होगा। नाबालिक सुरक्षाकर्मियों नहीं लगायेगा अन्यथा पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।
14. यह कि उसका प्रतिनिधि तथा सुरक्षाकर्मियों किसी प्रकार के फार्म उत्पादों जैसे पेड़-पौधे, लकड़ी, दवा, रसायनिक खाद-सामग्री, डीजल, फार्म मिट्टी आदि बिना गेट पास व पर्याप्त कागजात के बाहर नहीं ले जाने देगा और न ही खुद ले जायेगा और सख्त सुरक्षा सेवा उपलब्ध करायेगा।
15. यह कि ठेकेदार के नाम से ठेका हो जाने के बाद उस निर्धारित अवधि तक किसी दूसरे व्यक्ति को ठेके का कार्य हस्तारित नहीं करेगा अगर ठेकेदार ऐसा करता है तो तुरन्त प्रभाव से ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

16 यह कि ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने के बाद वह किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है या खण्ड प्रभारी सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार सुरक्षा कार्य नहीं करता है मौखिक व लिखित नोटिस देने के बाद भी सुरक्षा कार्य को सही ढंग से नहीं करता है तो फार्म प्रशासन के पास यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का ठेका निरस्त करते हुए ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल कर ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर लें।

17 यह कि ठेकेदार आवंटित फार्म क्षेत्र में संदिग्ध आपराधिक व्यक्तियों, वाहनों के प्रवेश को पूर्ण प्रतिबंधित करेगा फिर भी यदि आवंटित परिक्षेत्र में किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित होती है तो सुरक्षा ठेकेदार पूर्ण उत्तरदायी होगा।

18 यह कि किसी प्रकार का फार्म के आवंटित क्षेत्र में यदि कोई नुकसान होता है तो सुरक्षा ठेकेदार को सूचित किया जायेगा और गठित की गई समिति के साथ निरक्षण सत्यापन व क्षतिपूर्ति आंकलन के समय ठेकेदार या उसका नामित प्रतिनिधि को उपस्थित रहना होगा। यदि ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि उक्त समय नहीं पहुंचेगा तो अन्ततः समिति द्वारा नुकसान का आंकलन किया जायेगा। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।

19 यह कि गोदा व अवारा पशुओं व रोजडों के भागने दौड़ने, लड़ने से होने वाले नुकसान के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार नहीं माना जायेगा लेकिन खाई हुई फसल को ही ठेकेदार की लापरवाही मानकर उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

20 फार्म की सुरक्षा करते समय यदि ठेकेदार का किसी बाहरी व्यक्ति आदि से झगडा होता है तो ठेकेदार ही उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बंधित थाने में दर्ज करवायेगा तथा इसकी सूचना फार्म प्रशासन को देगा।

21 यह कि ठेकेदार यदि बीच में सुरक्षा का कार्य छोड़ता है तो उसका कोई भूगतान नहीं किया जायेगा और धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

22 ठेकेदार को निविदा लेने से पूर्व धरोहर राशि 50000.00 (पचास हजार रुपये का) डिमाण्ड डॉफ्ट जोकि राष्ट्रीय बीज निगम जैतसर (National Seeds Corporation Limited, Jetsar) के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (State Bank of India, Bajuwala) देय हो निविदा प्रपत्र के साथ सलंगन करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

23 यह कि सुरक्षा ठेकेदार के पास आयकर विभाग का पेन कार्ड नम्बर होना जरूरी है।

24 यह कि ठेका होने के बाद ठेकेदार एक सौ रुपये के स्टाम्प पर उपरोक्त शर्तों को लिखवाकर पढ कर हस्ताक्षर करेगा जिसकी मूल प्रति सुरक्षा अनुभाग में जमा करानी होगी।

25 यह कि किसी षडयंत्र, ट्रेड यूनियन की हडताल भीड़/बलबा द्वारा फार्म उत्पाद की क्षति व शस्त्र डकैती की स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार की पूर्णरूप से जिम्मेदारी होगी।

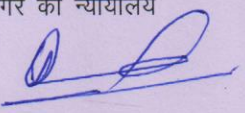
26 यह कि सुरक्षा ठेकेदार के पास बड़े कृषि फार्म पर सुरक्षा करने का एक वर्ष का अनुभव होना चाहिये।

27 यह है कि प्रतिमाह ठेकेदार के बिलों से 5% E.M.D (अरनेस्ट मनी) जमा कर ली जायेगी जो कि कार्य के संतोषजनक होने पर बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

28 टेण्डर फार्म 114.00 रुपये नकद जमा करवाकर सुरक्षा कार्यालय से प्राप्त करना होगा।

29 निदेशक महोदय को, बिना कोई कारण बताये, सुरक्षा ठेके को रद्द करने का पूरा अधिकार होगा।

30 यह कि ठेकेदार उसके प्रतिनिधि व उसके सुरक्षा कर्मियों एवं फार्म के मध्य उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद का मामला माननीय अध्यक्ष-सह-प्रबन्धक निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 को भेजा जायेगा उनका या उनके द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। न्यायालय में जाने से पूर्व आर्बीट्रेशन एक्ट के तहत आपसी सुलह की कार्रवाई करना जरूरी होगा। सम्पूर्ण न्यायिक विवाद का क्षेत्र के 0 रा0 फा0 जैतसर जिला श्री गंगानगर का न्यायालय क्षेत्र ही होगा।


सुरक्षा अधिकारी
केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर